Human Rights and International Law

Unit III

- International Commission of Human Rights
- Amnesty International
- European Commission on Human Rights
- U.N.: Division Of Human Rights
- International labour Organization
- UNESCO
- UNICEF
- SAARC

दक्षिण ए"ियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क)

The South Asian association for regional co-operation – (SAARC)

सार्क (दक्षेस) का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। 7 वा 8 सितंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई यह 7 देश है– भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और मालदीव यह दक्षिण एशिया के साथ पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का आठवां सदस्य बना।

मालदीव को छोड़कर संघ के शेष सदस्य भारत बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। यह सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही प्रधान और अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग थे लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह देश एक दूसरे से दूर हो गए।

सहयोग क्षेत्र का निर्धारण– सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है क्षेत्रीय सहयोग के ऐसे नए क्षेत्र रेखांकित किए गए हैं कृषि, स्वास्थ्य, सेवाएं, मौसम, विज्ञान, डाक तार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी दूरसंचार तथा यातायात खेलकूद सांस्कृतिक सहयोग। 2 वर्ष बाद ढाका में इस सूची में कुछ और विषय जोड़ दिए गए आतंकवाद की समस्या, मादक पदार्थों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका।

सार्क के सातवें शिखर सम्मेलन (ढाका अप्रैल 1993) में सापटा **South Asian Prefernatial Trade Arrangement SAPTA)** पर हस्ताक्षर किए गए तथा दिसंबर 1995 से लागू किया गया। साफ्टा देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास करता है सापटा के तत्वाधान में सदस्य देश के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान के लिए जो विचार विमर्श हुआ उसका मुख्य उद्देश्य सन 2005 तक दक्षिण एशियाई एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र South Asian Free Trade Area (SAFTA) का निर्माण करना था।

सार्क का चार्टर एवं ढाका घोषणा– सार्क के चार्टर में 10 धाराएं अनुच्छेद हैं इसमें सार्क के उद्देश्य, सिद्धांतों, संस्थाओं तथा वित्तीय संस्थाओं को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है–

उद्देश्य– चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार सार्क–मुख्य उद्देश्य है–

- दक्षिणी **ए"िया** क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना
- दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना
- क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना

- आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना।
- अन्य विकासशील देशों में के साथ सहयोग करना तथा
- सामान्य हित के मामलों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग मजबूत करना।

सिद्धांत चार्टर के अनुच्छेदों 2 के अनुसार सार्क के मुख्य सिद्धांत निम्न है–

- संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना
- इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के स्थान नहीं लेगा बल्कि उनका पूरक होगा।
- इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्व का विरोधो नहीं होगा।

वित्तीय प्रावधान–सार्क सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों का अंशदान को निर्धारित किया गया है।

सार्क की संस्थाएं– चार्टर के अंतर्गत सार्क की निम्न संस्थाओं का उल्लेख किया गया है

1 शिखर सम्मेलन, 2 मंत्री परिषद, 3 स्थाई समिति, 4 तकनीकी समितियां, 5 कार्यकारी समिति, 6 सचिवालय

काठमांडू घोषणा– काठमांडू घोषणा में आतंकवाद को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। सदस्य देशों ने 58 सूत्रीय घोषणा पत्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वृहद योजना तैयार करने पर बल दिया आर्थिक सहयोग पर भी समान रूप से बल देते हुए सदस्य दे" ाों द्वारा इस मौके पर

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र सापटा में एक निश्चित अवधि के भीतर व्यापारी गतिरोध को दूर करते हुए क्षेत्रीय व्यापार सुगम बनाकर इसका लाभ सभी सार्क देशों तक पहुंचाए जाने की जरूरत पर बल दिया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International)

यह मानव अधिकारों से सम्बद्ध एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में है इस संगठन की शुरुआत एक ब्रिटिश वकील द्वारा 28 मई 1961 के अखबारों में दी गई एक अपील के साथ हुई। वर्तमान में दुनिया के 150 देशों में इसके 10 लाख से अधिक सदस्य हैं। सन 1977 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व भर के सर्वत्र ऐसे कैदियों को छुड़ाने का प्रयास करता है जो अपनी राजनीतिक और आध्यात्मिक विचारधारा विशेष नस्ले तथा जातिगत आधारों पर बन्दी है तथा जिन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा में भाग लिया हो साथ ही संगठन उत्पीड़न तथा मृत्युदंड के विरुद्ध भी आवाज उठाता है । यह संगठन प्रतिवर्ष मानव अधिकारों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकाशित कर उल्लंघनकर्ता राज्यों पर राज्यों का पर्दाफाश करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आज्ञापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर आधारित है। यह संगठन एक 9′ सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी समिति (IEC) द्वारा संचालित होता है इसमें से 8 सदस्य 2 वर्ष के लिए विश्व भर के प्रतिनिधियों की परिषद द्वारा है इनमें से सदस्य 2 वर्ष के लिए विश्व भर के प्रतिनिधियों की परिषद द्वारा तथा एक सचिवालय द्वारा चुना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था

United Nation Education Scientific and Cultural Organization (UNIESCO)

संयुक्त राष्ट्र भौक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 44 राज्यों ने भाग लिया था तथा उसकी विधिवत स्थापना 4 नवंबर 1946 को हो गई, तत्पश्चात इसे एक करार द्वारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किया गया इस प्रकार का अनुमोदन महासभा ने 14 दिसंबर 1946 को कर दिया संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। मार्च 2005 तक इसके 191 सदस्य थे तथा इसके अतिरिक्त कई सहयुकत (Associate) सदस्य है।

उद्देश्य तथा कार्य –यूनेस्को **(UNESCO)**- का उद्देश्य राष्ट्र के मध्य शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से न्याय विधि के भाासन तथा मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओ के प्रति सम्मान उत्पन्न कर के भाान्ति तथा सरक्षा के क्षेत्र में योगदान लेना है यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि चूंकि युद्ध मनुष्यों को मस्तिश्क से प्रारंभ होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में भी शांति की सुरक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए since war begin in the minds of men, it is mind in the men that the defence of peace must be constructed. यूनेस्को ने बेसिक शिक्षा के विकास पर अधिक जोर दिया हैं यह विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य भी कराती है ज्ञान की वृद्धि तथा उसके प्रसार के लिए इसने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे इन उद्दे" यों की प्राप्ति के लिए यह राज्य तथा ज्ञान संस्थाओं को सहायता देती है।

रचना - संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य बनने का अधिकारी होता है। दूसरे राष्ट्र सामान्य सम्मेलन के दो तिहाई बहुमत के सदस्य बनाए जा सकते हैं। इसके निम्नलिखित अंग होते हैं

(क) सामान्य सम्मेलन **General conference)**- इसमें सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व होता है तथा इसका अधिवेशन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है या संस्था की नीति निर्धारित करती है अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों को अपनाने के लिए दो तिहाई मतों के बहुमत की आवश्यकता होती है परंतु संस्तुतियों के लिए केवल साधारण बहुमत आवश्यक होता है। सम्मेलन कार्यपालिका परिषद के सदस्य का निर्वाचन तथा डायरेक्टर जनरल नियुक्त करता है।

(ख) कार्यकारी परिषद **(Executive Board)** इसमें 24 सदस्य होते हैं उसका निर्वाचन सामान्य सम्मेलन द्वारा 4 वर्ष के लिए किया जाता है परिषद समाज सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करती है

(ग) सचिवालय **(Secretories)**- सचिवालय का प्रधान एक डायरेक्टर जनरल होता है जिसे परिषद के मनोनीत करने पर सामान्य सम्मेलन नियुक्त करता है डायरेक्टर जनरल सम्मेलन परिषद तथा तकनीकी समितियों की मीटिंग में भाग लेता है तथा नित्य के कार्यों का संचालन करता है 2005 में अपनी 60वीं वर्षगांठ पर यूनेस्को के इतिहास पर एक symposium किया। संस्था का 33 वां सत्र 3 से 21 अक्टूबर 2005 तक चला यूनेस्को द्वारा पिछले 5 वर्षों में घोषित कुछ प्रोग्राम निम्नलिखित है।

1- 2000-2010 शांति के लिए संस्तुति हेतु अंतरराष्ट्रीय दशक

2- 2003 2012 संयुक्त राष्ट्र साछरता दशक

3- 2005 भौतिक शास्त्र हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष

4- 2005-2014 शिक्षा के लिए पोषणीय विकास संयुक्त राष्ट्र दशक

5- 2005-2015 जीवन के लिए जल कार्यवाही है तो अंतरराष्ट्रीय दशक

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन
(International lanour Organization ILO)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 11 अप्रैल 1919 में राष्ट्र संघ के स्वायत्त साझेदार के पक्ष में हुई थी इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में है। 1946 में एक विशेष करार द्वारा संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई इस विशेष करार का अनुमोदन महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन संयुक्त राष्ट्र के निकट सहयोग में कार्य करता है।

रचना तथा कार्य - इसकी सदस्यता सभी राज्यों के लिए खुली है 25 अप्रैल 2005 तक अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (I.L.O) के 178 सदस्य हो गए थे। भारत प्रारंभ से ही अर्थात 1919 से ही इसका सदस्य था। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के निम्नलिखित तीन प्रमुख अंग है।

(क) सामान्य सम्मेलन **(General Confrence)**- इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व होता है प्रत्येक राज्य में इसमें 4 प्रतिनिधि होते हैं जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा 2 श्रमिक तथा सेवा आयोजकों के प्रतिनिधि होते हैं प्रत्येक प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार होता है सम्मेलन के अधिकतर निर्णय अभी समय तथा संस्कृति के रूप में होते हैं तथा उनमें दो तिहाई मतों की आवश्यकता होती है सदस्य राज्यों का उत्तर दायित्व होता है कि वह सम्मेलन में अपनाये गए अभिसमयों को अपनी राष्ट्रीय विधायनी द्वारा लागू करें सब संस्तुतियों तथा अभी समय मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगीता कहलाते हैं तथा इससे अंतरराष्ट्रीय नीति के स्तर का बोध होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक श्रमिक

कोड के 130 अभीसमय तथा 144 संसदीय हैं या कोड पूर्ण तथा बाध्यकारी विधि नहीं वरन यह जीवन जीवित तथा विकसित होने वाला कोड है इससे श्रम के विषय में अंतरराष्ट्रीय अनुमोदित स्तरों का बोध होता है।

(ख) व्यवस्थापिका अंग- इसमें 48 सदस्य होते हैं जिसमें 24 सदस्य राज्य सरकारों के 12 सेवायोजन तथा शेष 12 श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं इस अंग का कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय के डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति संस्था का सामान्य पर्यवेक्षण आदि होता है।

(ग) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कार्यालय तथा सचिवालय- इसका प्रधान डायरेक्टर जनरल होता है इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा है तथा इसकी शाखाएं न्यूयॉर्क तथा यूरोप और एशिया के कई देशों में हैं इसका मुख्य कार्य औद्योगिक जीवन तथा श्रम के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना तथा व्यक्तिगत सदस्यों को सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार विधि तथा नियम निर्मित करने में सहायता देना होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के सामान्य सम्मेलन 1944 में फिलाडेल्फिया में अपनी एक घोषणा द्वारा संस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट किया घोषणा के अनुच्छेद 3 के अनुसार मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1 पूर्ण रोजगारी तथा जीवन स्तर में उत्थान
2 न्यूनतम जीवन वेतन
3 सामूहिक सौदा कारी
4 सामाजिक सुरक्षा
5 श्रमिकों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा
6 बाल कल्याण
7 उचित आवाज मनोरंजन आदि की व्यवस्था तथा

8 शैक्षिक तथा रोजगार के अवसरों की समानता का आश्वासन

मूल्यांकन- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का अत्यंत सफल अंतर सरकारी संस्था तथा विशिष्ट एजेंसी है इसमें श्रम के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सराहनीय योगदान दिया है अंतरराष्ट्रीय विद्यायिनी की दशा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक और एक महत्वपूर्ण कदम है।

(i) नियमित रिपोर्ट करने की प्रक्रिया (Regular Reporting Procedure) प्रत्येक सदस्य को रिपोर्ट भेजनी होती है कि उसकी राष्ट्रीय विधियां किस हद या सीमा तक ILO के अभीसमयों मानक एवं संस्तुतियों से संगत या अनुरूप है इन रिपोर्टों का मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक समिति करती है इसमें अंतरराष्ट्रीय छात्र के विद्यान होते हैं तथा वे यह देते हैं कि कहां तक अभी समय एवं संस्तुतियों का अनुपालन हुआ है। तत्पश्चात समिति की वार्षिक मानकों के अनुपालन की समिति के सम्मेलन के सत्र में पुनरीक्षण किया जाता है इसके पश्चात समिति सम्मेलन को अपनी शक्तियां देती है तथा इनके विनिर्दिष्ट सरकारों की ठीक टिप्पणी भी हो सकती है।

(ii) सभा या संगम की स्वतंत्रता का संरक्षण करने हेतु विशेष युक्तियां या कार्य विधि **(** Special Mechanism to Protect Freedom of Association) I.L.O की शासी निकाय की समिति के अंतर्गत सभा या संघ की स्वतंत्रता की एक समिति है जिसे सदस्य राज्यों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें सुनने का अधिकार है जिसमें या अभी कथित किया जाता है कि सभा या संघ की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी शिकायत एक ऐसे सदस्य राज्य द्वारा भी की जा सकती है जिसने संस्था के सनकी स्वतंत्रता के संविधान का अनुसरण नहीं किया है। जिस देश के विरुद्ध जांच चल रही है अपनी सहमति देता है तो शासी निकाय शिकायत को संज्ञा सभा की स्वतंत्रता का तथ्य पता लगाने वाली तथा समझौता

कमीशन को निर्दिष्ट कर सकती है जांच के बाद उन देशों की शिकायतों जिन्होंने ।LO के संविधान का अनुसमर्थन किया है को विशेषज्ञों की समिति को सौंपा जाता है।

(iii) जांच कमीशन **(Commission of Enquiry)** I.L.O संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार ऐसे सदस्य की शिकायत जिसने ।.L.O के संविधान का अनुसमर्थन किया है के विरुद्ध शिकायत की जांच हेतु कमीशन स्थापित की जा सकती है।

(iv) अभ्यावेदन **(Representation)** I.L.O संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार ऐसे देश जिसने ।.L.O के संविधान का अनुसरण किया है के विरुद्ध शिकायत होने पर शासी निकाय द्वारा नियुक्त समिति शिकायत की जांच रिपोर्ट का पुनरीक्षण कर सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(International Human Rights Commission) IHRC

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आई.एच.आर.सी गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। यू.एन.एच.आर के हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 24 दिसंबर 2003 को आईएचआरसी की अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी समिति का नाम घोषित किया गया था आईईसी एशिया अफ्रीका यूरोप और अमेरिका के 24 देशों के 24 सदस्य के साथ स्थापित किया गया है संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य देश आईएचआरसी का सदस्य होगा आईएचआरसी परमाणु हथियारों का उन्मूलन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरी यात्रा की निष्पक्ष जांच करने के लिए जनमत जुटाने और युद्ध के खिलाफ प्रत्येक देश के मानव अधिकारों के संयुक्त

राष्ट्र का समर्थन करने और संयुक्त राष्ट्र को एक और बनाने के लिए स्थापित किया गया है अधिकार संगठन आईएचआरसी धीरे-धीरे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क निकायों की संबद्धता लेगा।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
(United Nation Children fund) UNICEF

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का आरंभिक उद्देश वित्तीय विश्वयुद्ध को में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। यूनिसेफ ने 1960 के दशक में अपनी गतिविधियों के दायरे का विस्तार किया जिसमें बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के अधिकारों की वकालत करना और शामिल करना शामिल था यूनिसेफ ने 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता यूनिसेफ विकासशील में महिलाओं विशेषकर माताओं के संघर्ष में अपना दायरा बढ़ाया उदाहरण के लिए उसने 1980 में अपना इन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया 1982 में बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें विकास मौखिक पुनर चिकित्सा की वकालत करना और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया 1989 में अधिकारों पर को अपना यूनिसेफ अपने कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करता है। यूनिसेफ एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है इसमें सदस्य होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 3 साल के लिए चुने जाते हैं प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करता है उसे कार्यकारी बोर्ड में कई सीटें आवंटित की जाती हैं इसलिए सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है यूनिसेफ का

मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया भर में भी हैं जो गैर सरकारी संगठन है और अधिकारों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

यूनिसेफ की रचना **(Structure of UNICEF)**

जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दुनिया भर के कम से कम 190 देशों में सक्रिय है इसकी गतिविधियों के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इसमें मध्य और पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, एशिया और प्रशांत, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका, दक्षिण एशिया, पश्चिम और मध्य अफ़्रीका शामिल है प्रत्येक क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है।